न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 07/2022 GCMS ID NO.2022/7

निर्णय दिनांक 30.03.2022

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का शेरपुरा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

(प्रार्थी)

बनाम

श्रीमान सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत साकिन रामपुरा बास जसरासर हाल शेरपुरा तहसील छतरगढ जिला बीकानेर ।

(अप्रार्थी)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

–निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शेरपुरा व भू.अ.निरीक्षक राणेर ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी. 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने चक 2 एसएम मुरब्बा नम्बर 88/47 किला नम्बर 01, 02 = 2.00 बीघा (सरसो की फसल), किला नम्बर 08 ता 10 = 3. 00 बीघा (गेहूँ की फसल) कुल तादादी 5.00 बीघा कमाण्ड राजकीय भूमि पर कृषि सम्वत् 2078 फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर सरसो, गेहूँ की फसल काश्त कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस अप्रार्थी के पुत्र द्वारा तामिल किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दिनांक 25.03.2022 को पेशी में ली गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, साक्ष्य, सबूत पेश किये जाने हेतु समय चाहा गया, अप्रार्थी को साक्ष्य, सबूत पेश करने हेतु समय दिया गया। पत्रावली आज दिनांक 30.03. 2022 को पेशी में ली गई। अप्रार्थी अनुपस्थित। अतिक्रमित भूमि के संबध में अप्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया। अप्रार्थी के विरूद्व ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू–राजस्व का 50 गुना 438/–अक्षरे चार सौ अडतीस रूपये शास्ति आरोपित कर, बेदखली के आदेश पारित किये जाते है ।

भू.अ.निरीक्षक राणेर को आदेशित किया जाता है कि कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष मे जमा करावे। तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक छतरगढ़ (बीकानेर)

(कुलदीप सिंह)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्य... दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner